कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खण्ड कः कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

कम्पनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	एल74899डीएल1993जीओआई053677
कम्पनी का नाम	आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई)
पंजीकृत पता	आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019
वेबसाइट	www.ifciltd.com
ई-मेल आईडी	complianceofficer@ifciltd.com
किस वित्तीय वर्ष की सूचना दी गई	2020-21
कम्पनी किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	64920 (ऋण प्रदान करने वाली अन्य सेवाएं)
तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं जिनका कम्पनी उत्पादन कर रही है/सेवाएं प्रदान कर रही है (तुलन-पत्र में दिए गए अनुसार)	**(i) वित्तीय उत्पाद** **(ii) निवेश उत्पाद** **(iii) सलाहकारी सेवाएं**
स्थानों की संख्या जहां कम्पनी द्वारा कारोबार किया जा रहा है: **(i) अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या** **(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**	 कोई नहीं 5 (31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार)
कम्पनी द्वारा किन बाजारों को सेवाएं दी गई है - स्थानीय/राज्यीय/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खण्ड खः कम्पनी के वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए)	1,895.99 करोड़ रुपए
कुल टर्न ओवर (भारतीय रुपए) *परिचालनों से आय*	1,378.00 करोड़ रुपए
कर पश्चात् कुल लाभ (भारतीय रुपए)	(1,957.81) करोड़ रुपए
कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	चूंकि पिछले 3 वर्षों में आईएफसीआई लि. का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा, अत: आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों के लिए कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 15.25 लाख रुपए का आबंटन किया गया और इसे प्रधान मंत्री राहत निधि में अंशदान के लिए आईएसएफ में अंतरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 दौरान किए गए ब्यौरे वार सीएसआर खर्चे की सूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 की बोर्ड रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
सीएसआर क्रियाकलापों की सूची, जिन पर खर्च किया गया है।	इस वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के विवरण बोर्ड रिपोर्ट के भाग के रूप में सीएसआर क्रियाकलापों की सूचना के अधीन वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं। तथापि कुछ मुख्य क्रियाकलापों में सुरक्षित पेय जल के लिए ट्यूबवेल लगाना, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए वैन खरीदने में मदद करने, पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र का निर्माण करना के लिए सहायता देना आदि शामिल है।

खण्ड गः अन्य विवरण

विवरण	हां/नहीं
क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां हैं	हां
क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के कारोबार दायित्व में भागीदारी करती है, यदि हां तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या का उल्लेख करें	नहीं
क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कम्पनी कारोबार करती है, कम्पनी के कारोबार दायित्व में भागीदारी करती है, यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं (30%, 30-60% से कम, 60% से अधिक)	नहीं

खण्ड घः कारोबार दायित्व सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशकों के विवरण

क) कारोबार दायित्व नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक के विवरण

इस सम्बन्ध में निदेशकों की एक उप-समिति बनाई गई है। 31 मार्च, 2021 के अनुसार समिति का गठन इस प्रकार है:

क्र. सं.	समिति के सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	उप महाप्रबंधक (समिति के अध्यक्ष)
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य
4.	श्री प्रसून	मुख्य महाप्रबंधक (समिति के सचिव)

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री प्रसून
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नं.	011-41732000
5.	ई-मेल आईडी	prasoon@ifciltd.com

2. सिद्धांत वार (नेशनल वालेन्ट्री गाइडलाइन्स (एनवीजीज) के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा कारोबार के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों पर नेशनल वोलेन्ट्री गाइडलाइन्स (एनवीजीज) में कारोबार दायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया गया है, जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

सिद्धांत 1- आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उनके द्वारा कारोबार का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

सिद्धांत 2- कारोबार में ऐसा माल व सेवाएं देना, जो सुरक्षित हैं और उनके समस्त जीवन चक्र में निरन्तरता बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए।

सिद्धांत 3- कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिए।

सिद्धांत 4- कारोबार से उन सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का सम्मान होना चाहिए विशेषत: जिन्हें लाभ नहीं हुआ है, जो चपेट में आ सकते हैं और जो हाशिए पर हैं और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5- कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान और उससे बढ़ावा देना चाहिए।

सिद्धांत 6- कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण को बचाए रखने के प्रयास करने चाहिएं।

सिद्धांत 7- जब कारोबार जनता को प्रभावित करता है, तब नियामक नीति बनाने का कार्य जिम्मेदारी से करना चाहिए।

सिद्धांत 8- कारोबार को सम्पूर्ण वृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए।

सिद्धांत 9- कारोबार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और उसे अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबार आचार/पारदर्शिता और जवाबदेही	उत्पाद/सेवा दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेकहोल्डर्स से वचनबद्धता	मानव अधिकारों का प्रवर्तन	पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण और बचाव	सार्वजनिक नीति	सम्पूर्ण विकास व सामयिक विकास	ग्राहक सम्बन्ध
		सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
1.	क्या आपकी कम्पनी में इन सब सिद्धांतों के लिए कोई नीतियां है?	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या यह नीति उपयुक्त स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
4.	क्या बोर्ड द्वारा नीति को अनुमोदित किया गया है, यदि हां तो क्या इस पर प्रबन्ध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ बोर्ड के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
5.	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने का लिंक बताएं	#	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	#	–	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	–	#	#
7.	क्या इस नीति के बारे में उपयुक्त सभी आन्तरिक और बाह्य स्टेकधारकों को औपचारिक रूप से बताया गया है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन हाउस ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
9.	क्या कम्पनी में नीति/नीतियों के सम्बन्ध में स्टेकहोल्डर्स की शिकायतें दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
10.	क्या कम्पनी ने किसी आन्तरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य शैली की स्वतन्त्र लेखा-परीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

सम्बन्धित नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अन्त में दिए गए हैं।

2 क. **यदि क्रम संख्या 1 के सामने दिए गए किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें क्यों? (2 विकल्प तक निशान लगाएं)**

क्र.सं.	प्रश्न	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
1.	कम्पनी ने सिद्धांत नहीं समझें हैं									
2.	कम्पनी ऐसी अवस्था में नहीं है, जहां यह अपने आप को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और इनका कार्यान्वयन करने की स्थिति में पाती हो									
3.	कम्पनी के पास कार्य करने के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4.	इसे अगले 6 महीनों में करने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 वर्ष में करने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण, (कृपया स्पष्ट करें)					✓[#]		✓[#]		

एनबीएफसी होने के नाते, इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता या सीमित रूप से लागू होता है। तथापि, कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों/मार्गनिर्देशों का पालन करना इसका उत्तरदायित्व है।

3. कारोबार उत्तरदायित्व से सम्बन्धित शासन प्रणाली

कितनी बार निदेशक बोर्ड, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पनी के कारोबार दायित्व के कार्यों का निर्धारण करते हैं। 3 माह, 3-6 माह, वार्षिक या 1 वर्ष से अधिक में?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कारोबार दायित्व समिति की एक बैठक हुई।

क्या कम्पनी कारोबार दायित्व या निरन्तरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए पुराने संदर्भ क्या हैं? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कारोबार दायित्व रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर भी उपलब्ध है।

खण्ड ङ : सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या आचार-व्यवहार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नीति केवल कम्पनी में लागू है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू है?**

   जी हां, यह केवल कम्पनी पर ही लागू है। कम्पनी में आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों के लिए कारोबार आचार-व्यवहार संहिता है। इस संहिता का प्रयोजन कम्पनी के कार्यों के प्रबन्धन में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है और इस प्रकार कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा बोर्ड और कर्मचारियों में प्रकट किए गए भरोसे और विश्वास को बनाए रखना है। बोर्ड और कर्मचारियों द्वारा इस संहिता के उपबन्धों को समझना, इसका दृढ़ता से पालन करना, अनुपालन करना और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इसमें नीचे दिए गए मानकों पर कायम रहना प्रत्याशित है। यद्यपि आचार-व्यवहार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नीति में समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर विशेष रूप से लागू नहीं होती। तथापि सहायक कम्पनियों में अगल-अलग कारोबार अचार-संहिता और सिद्धांत हैं।

   आईएफसीआई में सतर्कता प्रणाली है। सतर्कता प्रणाली का उद्देश्य भ्रष्टाचार के किसी आरोप या शक्ति के जानबूझ कर दुरुपयोग करने या जानबूझ कर विवेक के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने, अनैतिक व्यवहार के बारे में सूचना देने, वास्तविक या सम्भावित धोखाधड़ी, मूल्यों को प्रभावित करने वाली संवेदनशील अप्रकाशित सूचना बाहर भेजने या मूल्यों को प्रभावित करने वाली सूचना बाहर दिए जाने की सम्भावना की सूचना देने, आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों, किसी कर्मचारी/सरकारी अधिकारी के द्वारा और ऐसे प्रकटन की जांच/कारण जानने तथा शिकायत करने वाले व्यक्ति को कारोबार अचार-संहिता और सिद्धांतों के उल्लंघन की सूचना देने, ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को पीड़ित होने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना है बशर्ते कि ऐसा प्रकटन या ऐसी शिकायत सद्भाव और उपयुक्त समय पर की गई हो।

   आईएफसीआई ने भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर अपने उधार परिचालनों के लिए निष्पक्ष कार्य-प्रणाली संहिता बनाई हुई है जिसका उद्देश्य सभी ऋणियों को कम्पनी के कारोबार लेन-देन में कम्पनी के उचित संव्यवहार और पारदर्शिता की वचनबद्धता का आश्वासन देना है।

   इसके अतिरिक्त ठेका देने से पहले सफल बोलीदाताओं से एक वचनपत्र लिया जाता है कि वे किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुए हैं। अत: इस सिद्धांत की प्रयोज्यता इस सीमा तक लागू मानी जाए। 10 लाख रुपए से अधिक ठेके वाले संभावित बोलीदाताओं और चुने गए वेन्डरों द्वारा इन्टेग्रिटी पेक्ट पर भी हस्ताक्षर कराए जाते है। यह कार्य निदेशक बोर्ड द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक के सभी ठेकों वाले इन्टेग्रिटी पेक्ट को अपनाने के अनुरूप किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकहोल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या प्रबन्धन द्वारा इन शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के स्टेकहोल्डरों से 2412 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 99.63 प्रतिशत शिकायतों का 31 मार्च, 2021 तक समाधान कर दिया गया।

सिद्धांत 2

1. **अपने 3 उत्पाद या सेवाओं तक की सूची दें जिनके निरूपण में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है?**

   आईएफसीआई के पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के वित्तपोषण के लिए सावधि ऋण, निगमित ऋण, अल्पावधि ऋण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जो पर्यावरण का बचाव और पोषण करते हैं। ऋणों की मंजूरी करते समय, आईएफसीआई पर्यावरणीय अनुमोदन लेने वाली शर्तें भी रखता है अर्थात् ऋणियों पर ऐसी चीजों का उत्पादन या इस्तेमाल करने पर रोक लगाना, जिनसे ओजोन की कमी होती है। इसके अतिरिक्त आईएफसीआई ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजना सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आईएफसीआई को एक नोडल एजेंसी/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसका पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक):**

   लागू नहीं।

3. **क्या कम्पनी में पोषणीय स्रोतों (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्य-विधि है?**

   यह कम्पनी के मुख्य उत्पाद पर लागू नहीं होता। लेकिन भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017, भारत सरकार के माल अधिग्रहण मैनुअल, (2019), केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल 2017 तथा अन्य निदेशों के अनुरूप एक केन्द्रीय अधिग्रहण नीति बनाई गई है। आईएफसीआई गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस और सीपीपी पोर्टल (संट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) की सेवाए भी ले रही हैं

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्य-स्थल के आस पास स्थानीय और लघु उत्पादकों, जिनमें समुदाय भी शामिल हैं, से माल खरीदने और सेवाएं लेने के कोई उपाय किए हैं? यदि हां, कम्पनी द्वारा उनकी क्षमता और स्थानीय व लघु विक्रेताओं की सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए?**

   यह कम्पनी के मुख्य उत्पाद पर लागू नहीं होता। लेकिन कम्पनी 2.5 लाख रुपए और इससे अधिक के माल, कार्यों और सेवाओं के अधिग्रहण के लिए खुली और सीमित निविदा इन्क्वायरी करती है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के सिस्टम में एमएसएमई अनुपालन की व्यवस्था है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए एमएसएमई मार्गनिर्देशों के अनुसार आरएफपी में एक एमएसएमई खण्ड जोड़ा गया है।

5. **क्या कम्पनी में उत्पाद और बेकार सामान को पुन: उपयोग में लाए जाने के लायक बनाने की कोई प्रणाली है? यदि हां तो उत्पाद और बेकार सामान को पुन: उपयोग के लायक बनाए जाने का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10%)। लगभग 50 या इससे अधिक शब्दों में इसके विवरण दें।**

   नहीं।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 तक कम्पनी में 195 कर्मचारी (संविदा वाले कर्मचारियों को छोड़ कर) थे।

2. **कृपया अस्थायी/संविदा पर/दैनिक आधार पर लगाए गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 तक 11 कर्मचारियों को संविदा आधार पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त सहायक कम्पनियों से भी 2 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 को कम्पनी में 67 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. **कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 को कम्पनी में 2 स्थायी दिव्यांग कर्मचारी थे।

5. **क्या कम्पनी में कोई कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबन्धन द्वारा मान्यता दी गई है?**

   जी हां। आईएफसीआई द्वारा 2 संगठनों अर्थात आईएफसीआई अधिकरी संघ और आईएफसीआई अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता दी गई है

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में अपने स्थायी कर्मचारियों का क्या प्रतिशत है?**

   31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार 90.77% स्थायी कर्मचारी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।

   31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार स्थायी 9.23% कर्मचारी आईएफसीआई अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्य थे।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या बताएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2021 को बकाया शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	**नीचे टिप्पणी देखें**	
3	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य

टिप्पणी: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 की यौन उत्पीड़न से संबन्धित एक शिकायत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया थी जिसका 5 अप्रैल, 2021 को निपटान कर दिया गया।

8. **पिछले वित्तीय वर्ष में नीचे वर्णित कर्मचारियों को दिए गए सुरक्षा और कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 90% कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया।

सिद्धांत 4

1. **क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों की कोई योजना बनाई है?**

   हां।

2. **उपर्युक्त में से कम्पनी ने कितने स्टेकहोल्डरों को लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर हैं, के रूप में अभिनिर्धारित किया है?**

   सभी अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर हैं, के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

3. **क्या कम्पनी ने लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर बने हुए स्टेकहोल्डरों के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास किए हैं?**

   आईएफसीआई सभी आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक सभी कर्मचारियों के लिए नौकरी में आगे जाने के विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन करती है। आईएफसीआई ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को, विभिन्न स्तर की पदोन्नतियों से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करके तथा समय-समय पर मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति संघ की सहायता लेकर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है।

   इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई अनुसूचित जाति के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना के लिए नोडल एजेंसी भी है और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे नई योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

   कमजोर वर्गों (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग व्यक्तियों आदि) को आरक्षण पर विस्तृत अध्याय इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में प्रदान किया गया है।

सिद्धांत 5

1. **क्या कम्पनी की मानवाधिकारों पर नीति में केवल कर्मचारी ही आते हैं या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है।**

   आईएफसीआई में मानवाधिकार पर कोई विनिर्दिष्ट नीति नहीं है। सभी कर्मचारियों का आईएफसीआई कर्मचारीवृन्द विनियमों द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई थीं और प्रबन्धक द्वारा संतोषजनक रूप से दूर की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या था?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के स्टेकहोल्डरों से 2412 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 31 मार्च, 2021 तक 99.63% शिकायतों का निवारण कर दिया गया। लेकिन कोई भी शिकायत मार्गनिर्देश के सिद्धांत 5 से संबन्धित नहीं है।

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से सम्बन्धित नीति केवल कम्पनी पर लागू होती है या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है।**

   जी हां, यह नीति कम्पनी की विभिन्न नीतियों और निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कार्य-विधियों में सन्निहित है और यह सम्पूर्ण रूप से कम्पनी पर लागू होती है।

2. **क्या कम्पनी में/द्वारा पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान की कार्य नीतियां/प्रयास किए गए हैं? यदि हां तो, वेब पेज आदि के लिए कृपया पुराने संदर्भ दें।**

   आईएफसीआई ने पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान की दृष्टि से देश भर में ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। कम्पनी सौर, पवन, हाइड्रो आदि सहित नवीकरणीय परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों का पता लगाती है और उनका निर्धारण करती है?**

   यह प्रश्न कम्पनी पर लागू नहीं होता क्योंकि यह उत्पादन करने वाली कम्पनी नहीं है। तथापि आईएफसीआई स्वयं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में सम्भावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का पता लगाने और निर्धारित करने का प्रयास करती है।

4. **क्या कम्पनी में स्वच्छता विकास प्रणाली से सम्बन्धित कोई परियोजना है? यदि हां तो 50 शब्दों या उससे अधिक में उसके विवरण दें। इसके अतिरिक्त, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है।**

   जी नहीं।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छता प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई प्रारम्भिक उपाय किए हैं, हां/नहीं? यदि हां तो कृपया वेब पेज के लिए पुराने संदर्भ दें।**

   कम्पनी ने ऊर्जा दक्षता कार्य अर्थात् अपने निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट लगाने का कार्य पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के अतिरिक्त रखरखाव और ऊर्जा लागत में भी महत्त्वपूर्ण रूप से कमी लाने में समर्थ रही है।

6. **क्या सूचनाधीन वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा जेनेरेटिड इमिशन्स/वेस्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा की गई अनुमेय सीमाओं में है?**

   यह प्रश्न कम्पनी से सीमित रूप में प्रासंगिक है क्योंकि यह एक विनिर्माता कम्पनी नहीं हैं। तथापि कम्पनी अपने परिसरों और परिचालनों के सम्बन्ध में प्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करती है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या बताएं जो 31 मार्च, 2021 को स्थिति अनुसार लम्बित हैं (अर्थात् संतुष्टि के अनुरूप समाधान नहीं किया गया)**

   शून्य।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड, चैम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन्हीं के नाम बताएं, जिनसे आपका कारोबारी सम्बन्ध है।**

   इस समय आईएफसीआई के पास निम्नलिखित कारोबार चैम्बर्स/व्यापार संघों की सदस्यता है:

   i) कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई)

   ii) एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री (एसोचेम)

   iii) भारतीय बैंक संघ

   iv) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान

2. **क्या आपने उपर्युक्त संघों के माध्यम से जन सामान्य की उन्नति या सुधार की वकालत की है/लॉबी बनाई है?**

   आईएफसीआई जन सामान्य की उन्नति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करती है।

सिद्धांत 8

1. **क्या कम्पनी में सिद्धान्त 8 से सम्बन्धित नीति के अनुसरण में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो उनके विवरण बताएं।**

   कम्पनी अपनी निगमित सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में समग्र वृद्धि और साम्यिक विकास के सिद्धान्त के अनुरूप कार्यक्रम/प्रारम्भिक प्रयास परियोजनाओं पर कार्य करती है। सीएसआर नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और प्रयासों के बारे में विस्तृत सूचना 'निगमित सामाजिक दायित्वों पर रिपोर्ट' में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2. **क्या ये कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाऊस कार्यदल/अपने संस्थान/ बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन द्वारा आयोजित किए गए?**

   कम्पनी अपने निगमित सामाजिक क्रियाकलाप अपने एक न्यास "आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ)" के माध्यम से करती है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है?**

   जहां तक आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के प्रभाव मूल्यांकन का सम्बन्ध है, यह कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसार इस पर लागू नहीं होता।

4. **समुदाय विकास परियोजनाओं में आपकी कम्पनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- भारतीय रुपयों में राशि और ली गई परियोजनाओं के विवरण?**

   चूंकि पिछले 3 वर्षों में आईएफसीआई लि. का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा अत: आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों के लिए कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यकता अनुरूप 15.25 लाख रुपए का अंतरण आईएफसीआई शोसल फाउंडेशन में किया गया और आईएसएफ ने इस राशि को प्रधान मंत्री राहत निधि में अंतरित किया। आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ) आईएफसीआई और इसकी सहायक कम्पनियों की ओर से विश्वसनीय कार्यान्वयन एजेंसियों की मार्फत कार्य किया जाता है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि समुदाय विकास के इस प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 या इससे अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

   आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन को अपना सीएसआर बजट यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा जाता है कि समुदाय द्वारा समुदाय विकास कार्य समुदाय समावेशन के लिए सफलतापूर्वक किया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का लक्ष्य समुदाय विकास और उपेक्षित एवं जरूरतमंद लोगों का उत्थान करना है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रत्यक्ष सामाजिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है।

सिद्धांत 9

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की लम्बित शिकायतों/लम्बित उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरम्भ और अंत तक कुल मिलाकर 22 मामले लम्बित थे। इसलिए वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत ग्राहक शिकायते/उपभोक्ता मामले लम्बित है।

2. **क्या कम्पनी उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है और इसके अतिरिक्त स्थानीय विधियों द्वारा क्या शासनादेशित है।**

   लागू नहीं।

3. **क्या किसी स्टेकहोल्डर द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार प्रणाली, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहार करने का कोई मामला दायर किया गया है जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार लम्बित है।**

   ऐसा कोई मामला नहीं है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रकृति से सम्बन्धित कार्य किया है?**

   नहीं।

कारोबार दायित्व रिपोर्ट का अनुबन्ध-1

कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा अनुमोदित सम्बन्धित नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

नीति का नाम	वेब-लिंक
निष्पक्ष कार्य प्रणाली संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=content/fair-practices-code
आचार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=content/code-conduct
सतर्क प्रणाली	https://www.ifciltd.com/?q=content/whistle-blower-policy
सीएसआर नीति	https://www.ifciltd.com/?q=content/our-csr-policy

अन्य नीतियां आन्तरिक प्रलेख हैं और इन्हें केवल संगठन के कर्मचारी ही देख सकते हैं।

कमजोर वर्गों को आरक्षण

(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ दिव्यांग जनों)

भारत सरकार द्वारा जारी की गई समय-समय पर लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों आदि जैसी कुछ श्रेणियों के उत्थान से सम्बन्धित नीतियों का आपकी कम्पनी द्वारा अनुसरण किया जाता है। इन श्रेणियों को आरक्षण/छूट से सम्बन्धित मार्गनिर्देशों का पालन भारत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पदोन्नति आदि जैसे विभिन्न कार्यों में ऐसी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी में कुल 195 कर्मचारी थे, जिसमें से 25 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों, 17 अनुसूचित जातियों और 01 अनुसूचित जनजाति के थे।

01 जनवरी, 2021 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी निम्नानुसार है:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा	अ. ज. जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	-	-	-	-							-	-				
4	डी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/ संविदा पर	8		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

01 जनवरी, 2021 को विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	26	2	-	2							-	-				
4	डी	35	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	70	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	50	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	9	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/संविदा पर	10		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**206**	**18**	**1**	**26**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2020 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2020 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2020 (अर्थात् 01.01.2020 से 30.12.2020) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																		
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां								
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी:
(i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता